ईमेल द्वारा
बैठक दिनांक 06.07.2021 समय मध्यान्ह 12:00 बजे
संख्या–यू0ओ0–25/एक–9–2021

प्रेषक,
महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 05 जुलाई, 2021

राजस्व अनुभाग–9

विषयः–कोविड–19 महामारी से मृत व्यक्तियों की विधवाओं के पक्ष में तत्काल वरासत दर्ज कराने एवं पात्रता की परिधि में आने पर उन्हें कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा अभियान चलाकर प्राथमिकता पर दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–443/एक–11–2021 दिनांक 03.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 महामारी से पति की मृत्यु के फलस्वरूप जो विधवा निराश्रित हो गई हैं व उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है तथा आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाकर उनकी पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि पट्टा आवंटित किये जाये। आवास की पात्रता होने की दशा में ग्राम्य विकास विभाग से संपर्क कर आवास निर्माण हेतु कार्यवाही की जाए।

2– इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि उपर्युक्त कार्यवाहियां अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में 15 दिन के भीतर दिनांक 18.07.2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय। मण्डलायुक्त द्वारा इसकी सतत समीक्षा की जाय एवं सम्पूर्ण विवरण राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को दिनांक 20.07.2021 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वरासत दर्ज की प्रति राजस्व कार्मिक द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी को तत्काल स्वयं उपलब्ध करायें। इसके साथ ही **अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे** प्रश्नगत अभियान की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक आहूत की गई है, जिसमें संबंधित अपर जिलाधिकारी को निम्नलिखित लिंक पर आई.डी./ पासवर्ड के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

बैठक हेतु लिंक :–
https://zoom.us/j/96298751294?pwd=cVZnOWw5eXhudk0zOFk5Ty9SREtBQT09
Meeting ID: 962 9875 1294 Passcode: 147741

भवदीय,
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4–सचिव/विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–443 / एक–11–2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2021

राजस्व अनुभाग–11

विषय– कोविड–19 महामारी से मृत व्यक्तियों की विधवाओं के पक्ष में तत्काल वरासत दर्ज कराने एवं पात्रता की परिधि में आने पर उन्हें कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा अभियान चलाकर प्राथमिकता पर दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी से मृत भूमिधर की अविवादित वरासत उनकी विधवा सहित विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तत्काल दर्ज करायी जाये। इस हेतु मृत भूमिधर की विधवा से किसी आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है, अपितु सम्बंधित क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आवश्यक विवरण एकत्र करके वरासत दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी से पति की मृत्यु के फलस्वरूप जो विधवा निराश्रित हो गयी हैं व उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है तथा आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाकर उनकी पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि पट्टा आवंटित किये जाये। आवास की पात्रता होने की दशा में ग्राम्य विकास विभाग से सम्पर्क कर आवास निर्माण हेतु कार्यवाही की जाए।

3. उपर्युक्त कार्यवाहियां अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में 15 दिन के भीतर यानि कि दिनांक 18.07.2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय। मण्डलायुक्त द्वारा इसकी सतत समीक्षा की जाय एवं सम्पूर्ण विवरण राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को दिनांक 20.07.2021 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Manoj 3.7.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–443(1)/एक–11–2021, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग–2 एवं 9 को इस आशय से प्रेषित कि इस सम्बन्ध में नियमित रूप से अनुश्रवण कर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।